कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला सतना (म.प्र.)
Office of the Collector & District Election Officer (Local Election) District Satna (M.P.)
Email- deosatna@gmail.com दूरभाष 07672- 238844

क्रमांक/534 /स्था.निर्वा./भण्डार/2020 सतना, दिनांक 27 /10/2020

// अल्पकालिक निविदा सूचना //

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-70NN--6/2020/पांच/484 दिनांक 11/09/2020 के निर्देशानुसार आगामी नगरीय निकाय/त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2020-21 में कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु निविदा सूचना में संलग्न सूची में दर्शायी गई सामाग्री का क्रय किये जानें हेतु विक्रेताओं से निविदाए आमंत्रित की जाती है। सामाग्री प्रदाय करनें हेतु इच्छुक निविदांकार सीलबन्द निविदाएं दिनांक 10/11/2020 को सायं 04:00 बजे तक रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड डांक के माध्यम से अथवा स्वयं कार्यालय- जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) शाखा कक्ष क्रमांक जी-30 सतना में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त निविदाए दिनांक 11/11/2020 को साय 04:00 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से रूपये-500/- का नगद भुगतान कर दिनांक 09/11/2020 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते है।

निविदा की शर्ते निम्नानुसार है:-

1. निविदाकार को निविदा के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला सतना को संबोधित निविदा के साथ राशि रूपये – 5000/- (पांच हजार रूपये मात्र) सुरक्षा निधि के रूप में भारतीय स्टेट बैंक या अनुसूचित बैंकों में जमा कर उक्त बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना सुरक्षा निधि के निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. निविदाकार की फर्म का वाणिज्यक कर विभाग में पंजियन होना चाहिए। (पंजियन होने का जीवित प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा)।
3. निविदा खोलने के दिनांक को प्रत्येक सामाग्री की किस्म एवं नमूना प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक सामाग्री किस कम्पनी द्वारा निर्मित है, सामाग्री की मात्रा, तौल आदि जो निविदा में दिया है अंकित करना अनिवार्य है। निविदा में दर, प्रति सैकड़ा, किलो ग्राम आदि जैसी भी स्थित हो अंकित की जानी चाहिए। निविदा सूची के क्रमानुसार सामाग्री दी जानी चाहिए।
4. निविदाकार सूची में दर्शायी गई सामाग्री आवश्यकतानुसार स्वीकृत दर पर प्रदाय करनें हेतु बाध्य होगा।
5. स्वीकृत न्यूनतम दर अनुसार सामाग्री संबंधित फर्म से क्रय करनें हेतु बाध्य नहीं है। निविदा में दी गई कम्पनी अनुसार कम दर प्राप्त होनें पर अन्य फर्म से क्रय की जा सकेगी।
6. प्रदाय की गई कोई भी सामाग्री नमूने के अनुसार न होने पर अथवा उससे निम्न स्तर की होनें की दशा में ऐसी सभी सामाग्री निविदाकार को वापस कर दी जाएगी एवं निविदाकार को अपने व्यय पर वापस की गई सामाग्री को वापस उठाना होगा।
7. सामाग्री का प्रदाय आदेश प्राप्त होने पर तुरन्त कार्यालय- जिला स्थानीय निर्वाचन शाखा सतना में करना होगा।
8. निविदा स्वीकृत होनें एवं मांग आदेश प्रदाय किये जानें के पश्चात निर्धारित अवधि में सामाग्री प्रदाय न करनें अथवा निम्न स्तर की सामाग्री प्रदाय करनें की स्थिति में आदेशित सामाग्री अन्यत्र खुले बाजार से क्रय की जायेगी। तथा इसमें जो व्यय, हानि होगी वह निविदाकार की प्रतिभूति राशि से राजस्व वसूली की भांति वसूल की जायेगी।
9. शासन द्वारा निर्धारित GST/CGST की राशि की कटौती फर्म के देयकों से की जाकर शासन के पक्ष में जमा की जाएगी।
10. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त अथवा मान्य/अमान्य करनें का अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सतना को होगा। एवं निर्णय के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में लाया गया वाद मान्य नहीं होगा।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला सतना (म.प्र.)

// क्रय की जानें वाली सामाग्री का विवरण //

[illegible]	सामाग्री का नाम	मात्रा	प्रस्तुत न्यूनतम दर
	2	3	4
[illegible]	मास्क (अच्छी क्वालिटी का)	प्रति सैकडा	
[illegible]	फेस शील्ड	प्रति सैकडा	
[illegible]	ग्लब्ज (हस्तानें) अच्छी क्वालिटी के	प्रति सैकडा	
[illegible]	हेण्ड सैनेटाइजर	100 ग्राम (एक डिब्बी में)	

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला सतना (म.प्र.)